

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डा. कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (01) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 77, के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1-क) प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र अथवा ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र, की यह शर्त होगी कि उक्त अनुज्ञा-पत्र, किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में नहीं रखा जावेगा, तथा उक्त अनुज्ञा-पत्र की वैधता के दौरान ऐसे निष्प्रयोग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी। यदि वाहन में तकनीकी खराबी अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, अनुज्ञा-पत्र दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में रखा जाता है, अथवा अन्य कारणों से, अनुज्ञा-पत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए संचालित नहीं है, तो अनुज्ञापत्रधारी को समान विशिष्टियों की वाहन से प्रतिस्थापन करना होगा, या अनुज्ञा-पत्र को निरस्तीकरण हेतु अनुज्ञा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा।”

No. F 5-1/दो/आठ-परि./09.—In exercise of the powers conferred by sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (1) of rule 77, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(1-A) It shall be condition of every stage carriage permit or contract carriage permit that the said permit shall not be kept in non use for more than two months at a time and during the validity of said permit, the total duration of such non use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept in non use for more than two months or for other reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months than the permit-holder shall have to replace the vehicle of same specifications or the permit shall be surrendered for cancellation before the authority granting the permit.”

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-2/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 64 के उप नियम (1) के खण्ड "क" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1. (क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव निम्नानुसार उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए होंगे :—

स. क्र.	अधिकारी	जिलों से बने क्षेत्र के लिए
1.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुरनगर, कोरिया"

No. F 5-2/दो/आठ-परि./09.—In exercise of the powers conferred by sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motor Vehicle Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said Rules :—

for clause (a) of sub-rule (1) of Rule 64, the following clause shall be substituted, namely :—

"1. (a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall be as under for the area specified against them :—

S. No.	Officer	For the area consisting district of
1.	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham.
2.	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh
3.	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Kanker, Dantewara, Narayanpur, Bijapur.
4.	Regional Transport Officer, Ambikapur	Sarguja, Jashpur-nagar, Korea"

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-3/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 138 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 214 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा, अर्थात् :—

क्र.	वाहन के प्रकार	अनुकर्षण व्यय
1.	स्कूटर, मोटर-साईकिल	रु. 100.00 प्रतियान
2.	हल्के मोटरयान, (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	रु. 200.00 प्रतियान
3.	भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	रु. 300.00 प्रतियान
4.	भारी मोटरयान (भरे हुए ट्रक, बस)	रु. 350.00 प्रतियान
5.	मध्यम मोटरयान	रु. 250.00 प्रतियान

No. F 5-3/दो/आठ-परि/09.—In exercise of the powers conferred by sections 138 (2) of the Motor Vehicles Act 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said Rules,

for sub-rule (3) of Rule 214, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely :—

S. No.	class of vehicles	Towing cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rickshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Truck, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव